कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

क्रमांक / [illegible] / रा.अ.भू.अ. / 2021 रायगढ़ दिनांक [illegible] / 11 / 2021

प्रति

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़ (छ0ग0)

विषय :- रायगढ़ जिला अंतर्गत पैकेज-20 धरमजयगढ़-कापू मार्ग कुल लंबाई 32.696 कि.मी. के प्रस्तावित उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य में आने वाले वन क्षेत्र का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार करने हेतु प्रपत्र-1 (FORM-1) प्रदाय करने बावत्।

संदर्भ :- कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक/730/लोन-3/पी. 20/ए.डी.बी./2020-21 बिलासपुर दिनांक 17.08.2020।

--00--

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.696) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला-रायगढ़ में धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत प्रभावित ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ.-366 रकबा 0.311 हे0, पी.एफ.-360 रकबा 0.213 हे0, गिरीगुड़ा पी.एफ.-364 रकबा 0.626 हे0, नकना आर. एफ.-641 रकबा 0.402 हे0, खम्हार आर. एफ.-629 रकबा 0.486 हे0, सोनपुर आर. एफ.-80 रकबा 1.762 हे0 आर.एफ.-36 रकबा 1.773 हे0 धरमजयगढ़ राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 1303/1क/1 रकबा 0.434 हे0, 1304/1क/1 रकबा 0.660 हे0, 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे0, 1311/1क/1 रकबा 0.992 हे0 और गिरीगुड़ा राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 558/1क रकबा 0.830 हे0, 668/6क एवं 560/1क रकबा 1.132 हे0, 209/1क रकबा 0.540 हे0 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु संरक्षित वन भूमि 1.150 हे0, आरक्षित वन भूमि 4.483 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल वन भूमि 10.466 हे0 के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत निर्धारित प्रारूप प्रदर्श-स एवं लिनियर प्रकरण हेतु फार्म-1 में जानकारी चाही गयी है। उक्त संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(रा0) धरमजयगढ़ से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.696) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु 10.466 हे0 भूमि के लिए प्रदर्श-स तथा लिनियर प्रकरण हेतु प्रारूप फार्म-1 में जानकारी संलग्न कर सादर संप्रेषित है।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ0ग0)

SA-Later

पृ. क्रमांक / 1581 / /स.अ.भू.अ. / 2021 रायगढ़ दिनांक 30/11/2021

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध–व.स.अ.) अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर (छ0ग0) को सूचनार्थ।
2. कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो.नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़ (छ0ग0)

SA-Later

Annexure-I

FORM-I

(for linear project)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector Raigarh

****

No ..1581.... Date 30.11.21

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **Total forest land 10.465 hectares,** of protected forest land 1.150 hectares, Reserve forest land 4.483 **hectares, and** revenue forest land 4.832 **hectares,** to be diverted in favour of Project Manager, Chhattisgarh Road Development ADB Project PWD Bilaspur for Dharamjaigarh to Kapu Road widening/upgrading Raigarh district falls within jurisdiction of Gavarghutri, Mirigudha,Nakna,Khamhar,Sonpur, and Dharamjaigarh Village in Dharamjaigarh tahsil

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **10.465 hectares,** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights as annexure 01 to annexure ......

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the consent of Gram sabha's have been exempted for linear project vide latter no. F. no. 11-9/98-FC (pt) of Government of India, ministry of Environment and forest's (FC Division) Dated 5th February 2013.

(c) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

(BHIM SINGH)

District Collector Raigarh

BAGHEL.

कार्यालय कलेक्टर भू-अभिलेख शाखा जिला-रायगढ़(छ.ग.)

प्रदर्स 'स'

प्रमाण-पत्र

कार्यालय परियोजना प्रबंधक (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छत्तीसगढ़ सड़क विकास परियोजना, लो. नि.वि. बिलासपुर (छ.ग.) को धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.596) कि.मी. उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु जिला-रायगढ़ में धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत प्रभावित ग्राम ग्वारघुटरी पी.एफ.-355 रकबा 0.311 हे0, पी.एफ.-360 रकबा 0.213 हे0, मिरीगुडा पी.एफ.-354 रकबा 0.626 हे0, नकना आर. एफ.-641 रकबा 0. 462 हे0, खम्हार आर. एफ.-629 रकबा 0.486 हे0, सोनपुर आर. एफ.-80 रकबा 1.762 हे0 आर.एफ.-35 रकबा 1.773 हे0 धरमजयगढ़ राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 1303/1क/1 रकबा 0.434 हे0, 1304/1क/1 रकबा 0.650 हे0, 1310/1क/1 रकबा 0.344 हे0, 1311/1क/1 रकबा 0.902 हे0 और मिरीगुड़ा राजस्व वन भूमि खसरा क्रमांक 558/1क रकबा 0.830 हे0, 558/9क एवं 560/1क रकबा 1. 132 हे0, 209/1क रकबा 0.540 हे0 के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु संरक्षित वन भूमि 1.150 हे0, आरक्षित वन भूमि 4.483 हे0 एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल वन भूमि 10.465 हे0 के अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन करते हुए अनुविभागीय अधिकारी(रा0) धरमजयगढ़ प्रतिवेदन के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि:-

1 प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत संपूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र धरमजयगढ़-कापू मार्ग (32.596 कि.मी.) की वन भूमि (आरक्षित-4.483 हे0/ संरक्षित-1.150 हे0) एवं राजस्व वन भूमि 4.832 हे0 कुल रकबा 10.465 हे0 है जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा उपरोक्त ग्राम में स्थित है में तद्नुसार कार्यावाही .पूर्ण की गयी है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नही है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्र0	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता प्राप्त धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	ग्वारघुटरी	निरंक	निरंक
02	मिरिगुडा	निरंक	निरंक
03	नकना	निरंक	निरंक
04	खम्हार	निरंक	निरंक
05	सोनपुर	निरंक	निरंक
06	धरमजयगढ़	निरंक	निरंक

2 लिनियर प्रकरण होने से ग्राम सभा की आवश्यकता नही है

3 यह प्रमाणित किया जाता है कि संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नही है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

4 संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिये प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा कोई सुविधा विद्यमान नही है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(भीम सिंह)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष–जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़(छ.ग.)

अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति धरमजयगढ़, जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

// बैठक की कार्यवाही का विवरण //

अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत ग्राम धरमजयगढ़ गवारघुट्टी मिरिगुड़ा नकना खम्हार सोनपुर में धरमजयगढ़ से कापू तक सड़क के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु ग्रामसभा की अनुशंसा सहित प्रस्ताव अनुविभाग स्तरीय समिति को प्राप्त हुआ है।

प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	जिला	वनमंडल	परिक्षेत्र / तहसील	ग्राम	वन का प्रकार	कक्ष क्र./ खसरा क्र.	रकबा (हेक्टे.)
1	रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	गवारघुट्टी	संरक्षित वन	355	0.311
2						360	0.213
3				मिरिगुड़ा		354	0.626
4			बोरो	नकना	आरक्षित वन	641	0.462
5				खम्हार		629	0.486
6			कापू	सोनपुर		80	1.762
7						35	1.773
8			धरमजयगढ़	धरमजयगढ़	राजस्व वन	1303 / 1क / 1	0.434
9						1304 / 1क / 1	0.650
10						1310 / 1क / 1	0.344
11						1311 / 1क / 1	0.902
12				मिरिगुड़ा		558 / 1क	0.830
						558 / 9क 560 / 1क	1.132
13						209 / 1क	0.54
	कुल						10.465

प्रस्तावित भूमि पर विचार करने हेतु आज दिनांक 25/08/2021 को अनुविभाग स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें परिक्षण उपरान्त यह पाया गया कि प्रस्तावित भूमि में वन अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक हेतु मान्यता प्रमाण पत्र का वितरण नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रस्तावित भूमि पर धरमजयगढ़ से कापू तक मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य किये जाने हेतु अनुविभाग स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसा कर जिला स्तरीय वन अधिकार समिति को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
धरमजयगढ़
अध्यक्ष, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

उप वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वन मंडल
सदस्य, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
सदस्य, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

पुनीत प्रसाद राठिया
अध्यक्ष, जनपद पंचायत धरमजयगढ़
सदस्य, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

ममता राठिया
जनपद पंचायत सदस्य, धरमजयगढ़
सदस्य, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

गणेश राम राठिया
जनपद पंचायत सदस्य, धरमजयगढ़
सदस्य, अनुविभाग स्तरीय समिति धरमजयगढ़

गुणवत्ता पर्यवेक्षक
ए.डी.बी. बिलासपुर

प्रदर्श –"ब"

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा ..नकना........ की बैठक दिनांक ..11/12/2020

का कार्यवाही विवरण

ग्राम ..नकना.......... ग्राम पंचायत ..नकना............ दिनांक ..11/12/2020

स्थान ..नकना........ आज दिनांक 11/12/2020 को ग्राम ..नकना..... के सरपंच श्री/श्रीमती बंधुराम एक्का की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के धोबसारा 937 सदस्य ..55/100.. प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम नकना....... मे आवेदक ..A.D.B..... ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु क्र. 641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.462 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बावत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बावत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 0.462 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
(1)	नकना	निरंक	0.00
(2)	नकना	निरंक	0.00

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि क्र. 641 हे. वन भूमि 0.462 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.462 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स लोक निर्माण विभाग (आवेदक) बिलासपुर (A.D.B.) (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
हस्ताक्षर अनुभाग–धरमजयगढ़ (छ.ग.)
नाम धोबसारा 937

बंधुराम एक्का
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.प.धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्रा.प.–नकना
ज.प.–धरमजयगढ़

पटवारी

सचिव वन स० सदस्य

(1) (2) (3) दीतराम (4)

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापू धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम नकना / के परिक्षेत्र [illegible] में कक्ष क्र. 641 .... वनभूमि 0.462 हे0 .... हे0 प्रस्तावित वनभूमि के व्यपवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक 11/12/2020 राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक संस्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यपवर्तन बावत अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यपवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नहीं हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यपवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर
जमरगीडी

[illegible]
सरपंच
ग्राम पंचायत नकना
ज.प. धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

पटवारी
(गोपाल कुमार)
प.ह.नं - [illegible] रा.नि.मं.-कापू
तह. [illegible] (छ.ग.)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति नकना
जनपद -धरमजयगढ़ (छ.ग.)

वन अधि अ. समिति
(1) [illegible]
(2) [illegible]

वन अधिकार समिति प्रदर्श –"ब"

ग्राम सभा ग्वारघुटरी की बैठक दिनांक 13-12-2020

का कार्यवाही विवरण

ग्राम ग्वारघुटरी ग्राम पंचायत ग्वारघुटरी दिनांक ....

स्थान ग्वारघुटरी

आज दिनांक .... को ग्राम ग्वारघुटरी के सरपंच श्री/श्रीमती ताराबती राठिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के .... सदस्य .... प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :–

1. ग्राम ग्वारघुटरी मे आवेदक ADB (PWD) मे (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु क्र 360-0213, 355-0311 है० हे. वन भूमि 0.524 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.524 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ADB सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	ग्वारघुटरी	निरंक	00-00
	ग्वारघुटरी	निरंक	00-00

कक्ष क्र. 360-0213, 355-0.311 है०

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि .... हे. वन भूमि 0.524 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.524 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स छ.ग. PWD सड़क परि० प्रा. (आवेदक) बिलासपुर ADB (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

परिक्षेत्र सहायक धरमजयगढ़ पूर्व

वन अधिकार समिति अध्यक्ष

तारावती
सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुर
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

अध्यक्ष / सचिव
वन भू.अधिकार समिति हस्ताक्षर ....
ग्राम पंचायत–ग्वारघुटरी
धरमजयगढ़, जि.रायगढ़ (छ.ग.) नाम ....

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ जिले के धरमजयगढ तहसील के अंतर्गत ग्राम नरपुर के परिक्षेत्र धरमजयगढ में कक्ष क्र० 560, 0.818 ... 555-0.811 वनभूमि 0.5284 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक........ राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिपेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किया जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नहीं पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

वन विभाग के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

तारावती
सरपच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ
जिला–रायगढ (छ.ग.)

सचिव
ग्राम पंचायत–लक्ष्मीपुर
ज०पं०–धरमजयगढ
जिला–रायगढ(छ०ग०)

अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्राम ... लक्ष्मीपुर
धरमजयगढ, जि. रायगढ़

कार्यवाही बैठक की जानकारी

ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर | दिनांक [illegible]

विकास खण्ड धरमजयगढ़ | तहसील धरमजयगढ़ | जिला रायगढ़ | (सत्य प्रतिलिपि)

उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
श्रीमती तारावती	प्रकरण क्र.	ग्राम पंचायत दि. 02.12.2020 को सर्वप्रथम	उक्त प्रस्ताव	[illegible]
पदमु [illegible]	धरमजयगढ़ से	श्रीमती तारावती राठिया की अध्यक्षता	सर्वसम्मति	
श्री मनोज सिंह	काप्. 38-39 ग्रीन	में पंचायत के ग्राम सभा आयोजित किया	पंचों की	[illegible]
रामसेवक	फील्ड अधिकार	गया कि सभी उपस्थित पंचों के	एवं सहमति	
[illegible]	समिति से	समक्ष निर्णय लिया कि धरमजयगढ़	से पारित	
सुनील कुमार	संबंध में वन	से काप्. मार्ग 38-39 (ग्रीन फील्ड) कार्य	किया गया।	
भुनेश्वर	अधिकार नियम	एवं चौड़ीकरण में वन अधिकार नियम		
अनिल कुमार	2006 धारा 3(1)	2006 के अन्तर्गत कक्ष क्र. 360.0513,		
[illegible]	एवं 3(2) के	355.0311 0.584120 वन परिक्षेत्र		
श्रीमती सकीना	संबंध में।	गवरकुर्री में वन अधिकार समिति एवं		
[illegible]		ग्राम सभा के द्वारा भूमि आवंटन के		[illegible]
सुशीला		अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति		
पुनीता		और अन्य परम्परागत वन निवासी धरमजयगढ़		
निरंजनी		के तहत ग्राम गवरकुर्री में रोड के समीप		
सुकवारा		किसी को वनाधिकार पत्र प्रदाय नहीं		
फूलकुंवर	सत्यप्रतिलिपि	किया गया।		

दिनांक 02.12.2020

सचिव
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
ज0पं0–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

तारावती
सरपंच
ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर
जनपद पंचायत धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर

उपरोक्त प्रस्ताव [illegible]

ग्राम गवरकुर्री की कार्यालय परियोजना [illegible]

ग्राम सभा सोनपुर की बैठक दिनांक 15/12/2020

का कार्यवाही विवरण

ग्राम सोनपुर ग्राम पंचायत सोनपुर दिनांक 15/12/2020

स्थान सोनपुर आज दिनांक 15/12/2020 को ग्राम सोनपुर के सरपंच श्री/श्रीमती बलवंती तिर्की की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के रामकुमार राठिया सदस्य 55 % प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम 100, सोनपुर मे आवेदक ADB ने (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष 80/35 हे. वन भूमि 1.762 1.773 हे. राजस्व वन भूमि कुल 3.535 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि वन भूमि 3.535 हे. कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नहीं संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
	सोनपुर	निरंक	0.00
	सोनपुर	निरंक	0.00

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष 80/35 हे. वन भूमि 3.51.762 1.773 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 3.535 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स कार्य. PWD परि. प्रबंधक (आवेदक) बिलासपुर ADB (PWD) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

बलवन्ती तिर्की
सरपंच
ग्राम पंचा.-सोनपुर
ज.पं.-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग.)

परिक्षेत्र सहायक
छरिया

सचिव
ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़ (छ.ग.)

Rumdu
रामकुमार (अध्यक्ष)

हस्ताक्षर ....

नाम ....

(1) रु नारायण
(2) लाहर साय

...wers admin Downloads\#2520(1)-direct... Page 17

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़िकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम सोनपुर के परिक्षेत्र कापू .... में कक्ष क्र0 80—35 PF .... वनभूमि...हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है। 3.535 हे.

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भुमि का आज दिनांक...................... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति मे आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्तलि निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तपाय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही हैं जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य में गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

परिक्षेत्र सहायक
सरिया

वन विभाग के हस्ताक्षर

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़(छ.ग.)

बलवन्त तिर्की
सरपंच
ग्राम पंचा.-सोनपुर
ज.पं.-धरमजयगढ़
जिला-रायगढ़(छ.ग)

वन अधिकार समिति सदस्य
(1) रूपसाय
(2) नोहर साय

पटवारी
संजय कुमार राठिया
प.ह.न 14 तह धरमजयगढ़ (छ.ग.)

दिनांक ......15...12...2020

कार्यवाही बैठक की नकल

सत्य प्रतिलिपि

ग्राम-पंचायत सोनपुर

विकास खण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
1	श्रीमति चन्द्रवती तिर्की (सरपंच)	प्रस्ताव क्र. 02 धरमजयगढ़ से [illegible] 35.57 [illegible] अधिकार समिति के संबंध में	आज दिनांक 15/12/2020 को श्रीमति चन्द्रवती तिर्की सरपंच की अध्यक्षता में उपस्थित पंचों के समक्ष निर्णय लिया गया [illegible] धरमजयगढ़ से [illegible] मार्ग 32-59 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण में वन अधिकार नियम 2006 के [illegible] [illegible] 20 RF रकबा - 176.2 हे. [illegible] - 35 RF - [illegible] हे. वन परिक्षेत्र [illegible] में वन अधिकार समिति की [illegible] भूमि [illegible] कि अनु. जाति एवं अनु. जनजाति और [illegible] पर [illegible] [illegible] ग्राम सोनपुर [illegible] [illegible] को वन अधिकार [illegible] नहीं किया गया है।	उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया	01
2	रामबाई वर्मा (उप.)				
3	[illegible] बाई				
4	[illegible] बाई				
5	[illegible]				
6	[illegible]				
7	[illegible]				
8	[illegible]				
9	[illegible]				
10	[illegible]				
11	[illegible]				
12	[illegible] (पंच)				
13	[illegible]				
14	श्रीमति [illegible] (पंच)				

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक ......02...... दिनांक ......15.12.2020...... सचिव सरपंच ग्राम पंचायत ......

सचिव
ग्राम पंचायत - सोनपुर
जनपद पंचायत-धरमजयगढ़
जिला - रायगढ़(छ.ग.)

कार्यालय, ग्राम-पंचायत सिरीगुड़ा

कार्यवाही बैठक की नकल

दिनांक 15/12/2022 *Jaisri*

विकास खण्ड धरमजयगढ़ तहसील धरमजयगढ़ जिला [illegible]

सत्य प्रतिलिपि

क्रमांक	उपस्थित पंचों के नाम	विषय	बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	पंचों के हस्ताक्षर
श्रीमती	सुनीतिबाई राठिया सरपंच	[illegible] 32.596 KM मार्ग में प्रस्तावित ग्राम सिरीगुड़ा के वन एवं राजस्व भूमि की सहमति प्रस्ताव	प्रस्ताव क्रमांक (2) पर विचार विमर्श किया गया कि [illegible] 32.59 K.M [illegible] के [illegible] एवं [illegible] वन अधिकार नियम 2006 के अन्तर्गत ख.न. 55/1 से 55/16 5 209/1 [illegible] 354 [illegible] भूमि कुल रकबा 2.502 हे. वन भूमि कुल रकबा 0.626 हे. प्रभावित [illegible] वन अधिकार [illegible] एवं ग्राम सभा से [illegible] 0.0 [illegible] के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और गैर परम्परागत वन निवासी [illegible] ग्राम सिरीगुड़ा के [illegible] प्रभावित [illegible] किसी को वन अधिकार पत्रक [illegible] वितरित किया गया है।		[signature]
—	रोशन टण्डन उपसरपंच				
—	सकुन पंच				
—	सावित्री पंच				
—	कुसमवती पंच				
—	रुपमति पंच				
—	सत्यवती पंच				
श्री	हरिप्रकाश पंच				
श्रीमती	[illegible] पंच				
—	पुनिया पंच				
—	[illegible] पंच				
श्री	विजय पंच				
श्री	किशन पंच				
श्री	[illegible] पंच				

क्रमांक .... दिनांक ....

सचिव
ग्राम पंचायत सिरीगुड़ा
जनपद पंचायत धरमजयगढ़

[signature]
ग्राम पंचायत सिरीगुड़ा
जनपद पंचायत धरमजयगढ़

ग्राम पंचायत ....

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	[illegible]
01	[illegible]		

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा मिरिगुड़ा की बैठक दिनांक 16/10/2020

का कार्यवाही विवरण

ग्राम मिरिगुड़ा ग्राम पंचायत मिरिगुड़ा दिनांक 16/10/2020

स्थान मिरिगुड़ा

आज दिनांक ________ को ग्राम मिरिगुड़ा के सरपंच श्री/श्रीमति सुकालसिंह की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के सदस्य ________ प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम मिरिगुड़ा ने आवेदक ADB (PCO) हे (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु कक्ष-354 हे. वन भूमि 0.626 हे. राजस्व वन भूमि कुल 0.626 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी। खसरा क्र. 558/1K – 0.63 558/3K – 1.13 209/1K 0.54 हे. कुल 2.502
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि सड़क निर्माण कार्य कार्य के लिए प्रस्तावित है, में कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही संपादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क्र.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
01	मिरिगुड़ा	निरंक	00-00
02	मिरिगुड़ा	निरंक	00-0

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि कक्ष क्र. 354 .... हे. वन भूमि 0.626 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.626 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स ड. पी. ए. पा.लि. (आवेदक) प्रबंधक निर्माण ADB (PCO) को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे। खसरा 558/1K - 0.63, 558/3K - 1.132, 209/1K 0.54 हे. 2.502 हे.

सरपंच
ग्राम पंचायत मिरीगुडा

वन अधिकार समिति

हस्ताक्षर ....
नाम ....

हरवारसिंह

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01. कापु–धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम [illegible] के परिक्षेत्र [illegible] में कक्ष क्र० [illegible] .... वनभूमि [illegible] है० प्रभावित वनभूमि के व्यनवर्तन कार्य हेत आवेदन किया गया है।

02. गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक .... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया।

03. वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में स्थल निरिक्षण किया जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारंपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नहीं पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04. स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही है जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1) (e) के अंतर्गत विषेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05. व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06. अतः इस परिप्रेक्ष्य मे गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

[illegible] 16/10/20

परिक्षेत्र सहायक
धरमजयगढ़ पूर्व

[illegible]
अध्यक्ष
वन अधिकार समिति
ग्रा.पं. गिरीपुखा

वन विभाग के हस्ताक्षर

वन अधिकार समिति

(1) [illegible]

(2) [illegible]

(3) [illegible]

(4) [illegible]

(5) [illegible]

वन अधिकार समिति

ग्राम सभा खम्हार की बैठक दिनांक 28/11/2020

का कार्यवाही विवरण

ग्राम खम्हार ग्राम पंचायत खम्हार दिनांक 28/11/2020

स्थान सामुदायिक भवन खम्हार

आज दिनांक 28/11/2020 को ग्राम खम्हार के सरपंच श्री/श्रीमती [illegible] की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक आहूत की गयी। इस बैठक मे ग्राम सभा एवं वन समिति के [illegible] सदस्य 56/100 प्रतिशत उपस्थित थे। बैठक में निम्न विषयों पर चर्चा की गई :-

1. ग्राम खम्हार मे आवेदक M.D.B (PDO) मे (गैर वानिकी कार्य) के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन हेतु ख.नं 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व/वन भूमि कुल 0.486 हे. वन भूमि की मांग की गई। इस प्रस्ताव बाबत् विस्तृत चर्चा की गयी।
2. प्रस्ताव के लक्ष्य, उद्देश्य एवं उक्त प्रस्तावित व्यपवर्तित किए जाने वाली वन भूमि के उपयोग बाबत् ग्राम सभा की बैठक में विस्तार से गहन चर्चा की गयी।
3. इस वन व्यपवर्तन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम, 2006 के नियम एवं प्रावधानों पर चर्चा की गयी। जो वन भूमि ख.नं 629 रकबा 0.486 हे. सड़क निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित है, मे कोई भी आदिवासी, गैर परंपरागत वनवासी इस प्रश्नाधीन वन भूमि पर कृषि कार्य, आवास या अन्य पारम्परिक गतिविधि नही सम्पादित कर रहे है एवं कोई भी वन अधिकार (व्यक्तिगत या सामुदायिक) किसी आदिवासी या गैर परंपरागत वनवासी को इस प्रस्तावित वन भूमि पर नही दिया गया है।

अथवा

निम्न आदिवासी/गैर परंपरागत वनवासी व्यक्तियों को वन अधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया है:

क.	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में)
1	खम्हार	निरंक	—
.	— " —	" —	—

अतः यह एकमत से ग्राम सभा में निर्णय लिया गया है कि ख.नं 629 हे. वन भूमि 0.486 हे. राजस्व वन भूमि, कुल योग 0.486 हे. वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु मेसर्स [illegible] पारा० प्र.मं.ग्रा.स.यो. (आवेदक) विभाग [illegible] को अन्य प्रचलित नियमों एवं प्रावधान अनुसार व्यपवर्तित की जावे।

सचिव
ग्राम पंचायत–खम्हार
ज०प०–धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़(छ०ग०)

सरपंच
ग्राम पचायत खम्हार
ज.प.–धरमजयगढ़

प०सं०
जमरगीडी

पटेल
सतोष कुमार पाली

हस्ताक्षर
नाम

वन अधिकार समिति

वन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का संयुक्त जांच प्रतिवेदन

01 कापु-धरमजयगढ़ मार्ग के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य हेतु रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ तहसील के अंतर्गत ग्राम [illegible] के परिक्षेत्र [illegible] में कक्ष क्र0 629 .... वनभूमि 0.486 हे0 हे0 प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन कार्य हेतु आवेदन किया गया है।

02 गैरवानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तित किये जाने हेतु आवेदित उक्त भूमि का आज दिनांक .... राजस्व विभाग, वनविभाग एवं आवेदक स्थान के अधिकारियों / कर्मचारियों के उपस्थिति में आवेदित स्थल का संयुक्त जांच कया गया। .

03 वनभूमि के उक्त परयोजन हेतु व्यनवर्तन बावत् अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 के परिप्रेक्ष्य में सील निरिक्षण किय जाने पर व्यपवर्तन हेतु आवेदित भूमि पर किसी आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वननिवासी का कृषि कार्य, आवास अथवा अन्य पारपरिक गतिविधि का निष्पादन कर कब्जा नही पाया गया तथा उक्त भूमि व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उपयोग किया जाना भी किसी आदिवासी एव अन्य परंपरागत वननिवासी नही पाया गया।

04 स्थल निरिक्षण के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि, ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी. टी. जी.) के सदस्य व्यनवर्तन कार्य हेतु आवेदित वनभूमि पर निवासरत नही है जिनका अनुसूचित जनजाति एव अन्य परंपरागत वननिवासी (वन अधिकार मान्यता)अधिनियम के 2006 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखा जाना है।

05 व्यनवर्तन हेतु आवेदित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वननिवासी(वन अधिकार मान्यता) अधिनियम के 2006 की धारा 3(2) के अतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नही है।

06 अतः इस परिप्रेक्ष्य मे गैरवानिकी प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन हेतु आवेदित उक्त वनभूमि का व्यपवर्तन किया जा सकता है।

राजस्व विभाग के हस्ताक्षर

वन विभाग के हस्ताक्षर
[signature]
जमरगीडी

[signature]
सरपंच
ग्राम पंचायत [illegible]
ज.प. धरमजयगढ़

[signature]
वन अधिकार समिति
[illegible]
तहसील धरमजयगढ़
जिला रायगढ़ (छ0ग0)

वन अधिकार
[illegible]

कार्यालय ग्राम पंचायत- खम्हार, जनपद पंचायत- धरमजयगढ़
जिला- रायगढ़ (छ०ग०)

ग्राम पंचायत कार्यवाही विवरण की नकल

दिनांक 02/12/2020

क्रमांक	उपस्थित सदस्यों के नाम		प्रस्ताव का विषय	कार्यवाही का विवरण	प्रस्ताव जो पास हुआ	हस्ताक्षर
1.	श्री चिन्तामणी राठिया सरपंच		प्रस्ताव 03 धरमजयगढ़ हेतु सार्वजनिक 33.54 कि.मी. वन अधिकार समिति के संबंध में वन अधिकार नियम 2006 धारा 3(1) एवं 3(2) के संबंध में।	आज दिनांक 02/12/2020 को ग्राम पंचायत की बैठक श्री चिन्तामणी राठिया सरपंच की अध्यक्षता में उपस्थित सदस्यों के चर्चा कर निर्णय लिया गया कि धरमजयगढ़ हेतु रोड मार्ग 33.54 कि.मी. चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण में वन अधिकार नियम 2006 के अन्तर्गत कक्ष क्र. P.F. 629 रकबा 0.486 हे. वन भूमि जो कि वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा के द्वारा भूमि स्वामित्व के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों धरमजयगढ़ के उक्त ग्राम खम्हार की रोड के समीप किसी को वन अधिकार पत्र प्रदान नहीं किया गया है।	उक्त प्रस्ताव उपस्थित पंचों की सर्वसम्मति से पारित किया गया।	हस्ताक्षर किया
2.	-"- जगसिंह राठिया उपसरपंच					
3.	-"- उमेश	पंच				
4.	-"- मनोज	-"-				
5.	-"- [illegible]राम	-"-				
6.	-"- बीलाराम	-"-				
7.	-"- [illegible]राय	-"-				
8.	-"- नन्दकुमार	-"-				
9.	श्रीमति [illegible]	-"-				
10.	-"- नीलम	-"-				
11.	-"- [illegible]	-"-				
12.	-"- [illegible]	-"-				
13.	-"- फूलेश्वरी	-"-				

सचिव
ग्राम पंचायत- खम्हार
जनपद- धरमजयगढ़
जिला- रायगढ़ (छ.ग.)

सरपंच
ग्राम पंचायत खम्हार
ज.प. धरमजयगढ़